



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं. 2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122001
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122001



CIN : L40101DL1989DL038121

दिनांक: 15 November, 2022

PGCIL/R/E/22/00364

SHRI LALIT Kumar,
H28 SECOND FLOOR, GALI NO.1, Pratap Nagar, -110007 Delhi

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी ।

महोदय / महोदया,


कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 28 October, 2022 को प्राप्त अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें ।

उपरोक्त पत्र में वांछित जानकारी अनुलग्नक-1 में संलग्न है ।

यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आर.टी.आई अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी.अनंत शर्मा
कार्यपालक निदेशक (सी. एस.) एवं अपील प्राधिकारी
केन्द्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।
ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in
फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद,

भवदीय,

(ए. जगन्नाथ राव)
वरिष्ठ महाप्रबंधक (कें.आयोजना) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

Sub: Reply to RTI Request of Shri Lalit Kumar, Pratap Nagar, Delhi

Information sought:	Reply:
<p>Please refer to the letter dated 10.05.2021 & 27.06.2021 and also to the representation mentioned in said letter filed by undersigned, addressing to the Director (Personnel), Power Grid Corporation of India Ltd., 'Saudamini', Plot No. 2, Sector -29, Gurugram (Haryana) -122001 (copy enclosed). With regard to the above, please provide copies of the following:-</p> <p>(1) Preliminary Action Taken Report</p> <p>(2) Subsequent report after the Preliminary Action Taken Report and</p> <p>(3) Final decision of the Competent Authority in the matter of the letter dated 10.05.2021 & 27.06.2021 as mentioned above.</p>	<p>Reply to Sl. No.1, 2 & 3:</p> <p>In this regard, it may be informed that the reply was already forwarded against RTI Application Regn. No. M-37 through CPIO's letters dated 02.02.2022 (Annexure-A) and 26.04.2022 (Annexure-B) respectively.</p>

श्रीलाल कुमार



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सादामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



PGCIL/R/2021/M-37

दिनांक: 2 February, 2022

Shri Lalit Kumar
House No. 28, 2nd floor, Gali NO. 1,
Pratap Nagar, Andha Mughal,
Shakti Nagar (North Delhi) Delhi-110 007

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 4 January, 2022 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।

उपरोक्त पत्र से वांछित जानकारी अनुलग्नक-1 में संलग्न है।

यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हो तो, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी.अनंत शर्मा
कार्यपालक निदेशक (सी. एस.) एवं अपील प्राधिकारी
केन्द्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
सादामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।
ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in
फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद,

भवदीय,

(जसवीर सिंह) 02/02/22

मुख्य जहाजबंधक (के. आ.) एवं के.सो.सू.अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

अनुलप्रक-1

Sl.No.	Information sought:	Reply:
Query 1	पावरग्रिड में दिनांक 01 जनवरी 2017 और उसके बाद, 30 अप्रैल 2019 तक कितने प्रशिक्षुओं पर्यवेक्षकों को एस-1 ग्रेड में नियमित किया गया है प्रमाणित ब्यौरा उपलब्ध करावें।	उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार 01 जनवरी 2017 से 30 अप्रैल 2019 तक, पावरग्रिड केंद्रीय कार्यालय क्षेत्र में कुल 10 पर्यवेक्षक प्रशिक्षुओं को नियमित किया गया है।
Query 2	पावरग्रिड में दिनांक 01 जनवरी 2017 और उसके बाद, 30 अप्रैल 2019 तक कितने कामगारों को डब्ल्यू-3 एवं डब्ल्यू-4 ग्रेड में नियमित किया गया है प्रमाणित ब्यौरा उपलब्ध करावें।	उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार 01 जनवरी 2017 से 30 अप्रैल 2019 तक, पावरग्रिड केंद्रीय कार्यालय क्षेत्र में कोई भी कर्मचारी को डब्ल्यू-3 ग्रेड में नियमित नहीं किया गया। पावरग्रिड में डब्ल्यू-4 ग्रेड पर कर्मचारी रिक्रूटमेंट के माध्यम से रेगुलर ग्रेड में आते हैं व तत्पश्चात प्रोबेशन अवधि पूरी करने पर उनकी नियुक्ति पर पुष्टि की जाती है।
Query 3	पावरग्रिड में दिनांक 01.02.2016 से लेकर आज दिनांक (आवेदन की तारीख-31.12.2021) तक कितने पर्यवेक्षक एस-1 ग्रेड में भर्ती किया है और उनमें से कितने पर्यवेक्षकों को नियमित किया गया है प्रमाणित ब्यौरा उपलब्ध कराएं।	उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार पावरग्रिड में दिनांक 01.02.2016 से लेकर आज दिनांक (आवेदन की तारीख-31.12.2021) तक केंद्रीय कार्यालय क्षेत्र में 15 पर्यवेक्षक प्रशिक्षुओं को भर्ती किया है और उनमें से 15 को नियमित किया गया है।
Query 4	पावरग्रिड में दिनांक 01.02.2016 से लेकर आज दिनांक (आवेदन की तारीख-31.12.2021) तक कितने कामगारों को डब्ल्यू-3 एवं डब्ल्यू-4 ग्रेड भर्ती किया है और उनमें से कितने कामगारों को नियमित किया गया है प्रमाणित ब्यौरा उपलब्ध कराएं।	उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार पावरग्रिड में दिनांक 01.02.2016 से लेकर आज दिनांक (आवेदन की तारीख-31.12.2021) तक केंद्रीय कार्यालय क्षेत्र में, डब्ल्यू-3 ग्रेड में-0 और डब्ल्यू-4 ग्रेड में 8 कामगारों को भर्ती किया है। इनमें से 06 कामगारों की नियुक्ति पर पुष्टि की जा चुकी है।
Query 5	पावरग्रिड के मानव संसाधन विभाग से कार्यरत वरिष्ठ महाप्रबंधक कारपोरेट द्वारा दिनांक 14.03.2019 निर्गत अंतर कार्यालय ज्ञापन संदर्भ: के.का./मा.सं./औ.सं.वे दिनांक : 14/03/2019 की गोपनीयता की संवैधानिकता का प्रमाण उपलब्ध करावें। पावरग्रिड के किस नियमांतर्गत का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत गोपनीय रूप से पावरग्रिड मानव संसाधन विभाग में कार्यरत महाप्रबंधक के हस्ताक्षरित अंतर कार्यालय ज्ञापन दिनांक निकाला गया, सूचनामय प्रमाणित दस्तावेज़ सहित उपलब्ध करावें।	मागी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(f) के अंतर्गत नहीं आता।
Query 8	प्रमाणित गणना उपलब्ध करावें कि दिनांक 14 मार्च 2019 को वरिष्ठ महाप्रबंधक मानव संसाधन कारपोरेट द्वारा निर्गत अंतर कार्यालय ज्ञापन संदर्भ: के.का./मा.सं./औ.सं.वे दिनांक:14/03/2019 के प्रभाव से लगभग 35 वर्षों की अवधि में दिनांक 01.01.2017 के बाद और 30.04.2019 तक, एक वर्षिय प्रशिक्षण के अप्रांत नियमित किये गए	2017 वेतन संशोधन के भाग के रूप में जेटीटी, डीटी/जेओटी और डब्ल्यू4 कर्मचारियों को विशेष एकमुश्त छूट दी गई थी, जो क्रमशः 07.03.2019 तक जारी किए गए भर्ती विज्ञापनों/रोजगार कार्यालयों में अधिसूचनाओं के खिलाफ नियमितीकरण/शामिल हुए थे। (Special One-Time Dispensation was extended to JTTs, DTs / JOTs and W4 employees, who joined

	अकार्यपालको (एस 1 ग्रेड, डब्ल्यू -3 एवं डब्ल्यू -4 ग्रेड) को असंवैधानिक रूप से की गई विशेष एकमुश्त मूल वेतन वृद्धि से पावरग्रेड पर अतिरिक्त वित्तिय भार का गणनात्मक दस्तावेज़ उपलब्ध करावें।	against recruitment advertisements / notification in employment exchanges issued till 07.03.2019, from the date of their regularization /joining respectively, as part of 2017 Pay Revision.)
Query 6	पावरग्रेड के मानव संसाधन विभाग से कार्यरत वरिष्ठ महाप्रबंधक कारपोरेट द्वारा दिनांक 14.03.2019 निर्गत अंतर कार्यालय ज्ञापन संदर्भ : के.का./मा.सं./ओ.सं.वे दिनांक: 14/03/2019 का डिपार्टमेंट आफ पब्लिक एंटरप्राइजेस व उर्जा मंत्रालय से अनुमोदित नोट के प्रमाणित दस्तावेज़ की छायाप्रति उपलब्ध करावें।	ऐसा कोई दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है।
Query 7	प्रमाण उपलब्ध करायें कि दिनांक 14 मार्च 2019 को वरिष्ठ महाप्रबंधक मानव संसाधन कोरपोरेट द्वारा निर्गत अंतर कार्यालय ज्ञापन, पूर्व न्यायमूर्ति श्रीमान सतीश चंद्रा के नेतृत्व में बनी समिति द्वारा डी.पी.ई. को दी गई तीसरी पी.आर.सी. रिपोर्ट के बिंदु 3.2 में वर्णित एफोर्डेबिलिटी के प्रतिकूल नहीं है।	3rd Pay Revision Committee (PRC) की रिपोर्ट, पावरग्रेड पर लागू (applicable) नहीं है।





सूचना
का अधिकारी

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सादामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



पावरग्रिड
POWERGRID

(By Speed Post)

CIN: L40101DL1989GOI038121

PGCIL/R/2021/M-37

Dated: April 26, 2022

Shri Lalit Kumar,
H.No. 28, end Floor, Gali No.1,
Pratap Nagar, Andha Mughal,
Shakti Nagar, (North Delhi),
Delhi-110 007

**Sub.: Your Appeal under RTI Act, 2005 (appeal letter dated 25th February, 2022)
for RTI request (PGCIL/R/2021/M-37)) dated 4th January, 2022.**

Dear Sir,

This has reference to the Order No. C/CP/AA/RTI Act, 2005 dated 25th March, 2022 from the Appellate Authority on the subject matter. As directed by the Appellate Authority, the desired information is attached herewith at **Annexure-I**.

भवदीय,

(Handwritten signature)
26/04/22

(ए. जगन्नाथ राव)

वरिष्ठ महाप्रबंधक (कें.आयोजना) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

Annexure-I

As per compliance of Appellate Authority Order No. C/CP/AA/RTI Act, 2005 dated 25th March, 2022. The requested information is given as below:

RTI Query 1	पावरग्रिड में दिनांक 01 जनवरी 2017 और उसके बाद 30 अप्रैल 2019 तक कितने प्रशिक्षुओं पर्यवेक्षकों को एस 1-ग्रेड, में नियमित किया गया है, प्रमाणित ब्यौरा उपलब्ध करावे ।
Query 2	पावरग्रिड में दिनांक 01 जनवरी 2017 और उसके बाद 30 अप्रैल 2019 तक कितने कामगारों को डबल्यू- 3 एवम डबल्यू - 4 ग्रेड में नियमित किया गया है, प्रमाणित ब्यौरा उपलब्ध करावे ।
Query 3	पावरग्रिड में दिनांक 01.02.2016 से लेकर आज दिनांक तक कितने पर्यवेक्षक एस 1-ग्रेड, में भर्ती किए गए हैं और उनमें से कितने पर्यवेक्षकों को नियमित किया गया है, प्रमाणित ब्यौरा उपलब्ध करावे ।
Query 4	पावरग्रिड में दिनांक 01.02.2016 से लेकर आज दिनांक तक कितने कामगार डबल्यू - 3 एवं डबल्यू-4 ग्रेड भर्ती किए गए और उनमें से कितने कामगारों को नियमित किया गया है, प्रमाणित ब्यौरा उपलब्ध करावे ।
Ground for Appeal	मांगी गई सूचना के अनुरूप जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि पावरग्रिड के स्थान पर मात्र केंद्रीय कार्यालय की जानकारी भ्रामक और मुख्य विषय पर पर्दा डालने हेतु मुख्य सूचना अधिकारी द्वारा आंशिक जानकारी उपलब्ध करायी गई है।
Reply Q.1	उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार- 01.01.2017 -30.04.2019 तक, पावरग्रिड में, एस 1-ग्रेड में कुल 672 पर्यवेक्षक प्रशिक्षुओं को नियमित किया गया ।
Reply Q.2	उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, 01.01.2017से 30.04.2019 तक, पावरग्रिड में W-3 ग्रेड में कुल 122 कनिष्ठ टेक्निशियन प्रशिक्षु नियमित किए गए । पावरग्रिड में W-4 ग्रेड पर कर्मचारी रिक्तमंत के मध्यम से रेगुलर ग्रेड में आते हैं व तत्पश्चात प्रोबेशन अवधि पूरी करने पर उनकी नियुक्ति पर पुष्टि की जाती है ।
Reply Q.3	उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, 01.02.2016से 31.12.2021 (आवेदन की तारीख) तक, पावरग्रिड में 1093 पर्यवेक्षक प्रशिक्षुओं को भर्ती किया गया और इनमें से, एस 1-ग्रेड में 951 को नियमित किया गया है ।
Reply Q.4	उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार 01.02.2016 से 31.12.2021 (आवेदन की तारीख) तक, पावरग्रिड में, कनिष्ठ टेक्निशियन प्रशिक्षु के पद पर 184 कामगारों की भर्ती की गई और इनमें से 181 को डबल्यू- 3 ग्रेड में नियमित किया गया । पावरग्रिड में, 85 कामगारों को रिक्तमंत के मध्यम से डबल्यू-4 ग्रेड (रेगुलर ग्रेड) में भर्ती किया गया व तत्पश्चात प्रोबेशन अवधि पूरी करने पर, इनमें से 83 की नियुक्ति पर पुष्टि की गई ।

-----x-----

